प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 23 जून, 2021***

विषय केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामजीत पुत्र श्री चुन्नीलाल कोरी, निवासी जनपद-इटावा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27411/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 28-09-2020 दिनांक 02-11-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामजीत पुत्र श्री चुन्नीलाल कोरी, जो सरैया कुइता, थाना-ऊसराहार जनपद-इटावा का रहने वाला है। बन्दी द्वारा अवैध सम्बन्धों का शक होने के विवाद को लेकर दिनांक 25.10.2003 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर भाला, कुल्हाडी, राइफल व लाठी से मारकर 01 महिला व 01 पुरूष की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-72/2004 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 201 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-1), इटावा के आदेश दिनांक 04.10.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2020 तक 13 वर्ष 02 माह 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 01 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की आख्या एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 23.01.2020 द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी रामजीत पुत्र चुन्नीलाल कोरी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, इटावा द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामजीत (बन्दी संख्या-23773) पुत्र श्री चुन्नीलाल कोरी, निवासी जनपद-इटावा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-105/2021/1030(1)/22-2-2020 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-इटावा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in